

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डॉ. हरीश कुमार सैनी, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाडोल पाली को कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाडोल पाली की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 (क) के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियाँ एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)  
संयुक्त शासन सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)  
विभाग एवं पचायती राज  
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, राज.
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
6. संबंधित प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राज.
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
7056139



Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.05.06 10:37:02 IST  
Reason: Approved